2020/00206

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री डॉ. मुरलीधर पालीवाल
निवासी प्लॉट नं. 243, शिव मंदिर रातानाड़ा
जोधपुर

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 08 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
0[illegible].08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरोही को दिनॉक 11.05.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि नगर पालिका शिवगंज के वर्ष 1999 की वार्ड सं. 9 के क्रं.सं. 193 पर अंकित नर्बदा/मुरधीधर, स्त्री, उम्र 32 की प्रमाणित प्रतिलिपी से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरोही को दिनॉक 11.05.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि नगर पालिका शिवगंज के वर्ष 1999 की वार्ड सं. 9 के क्रं.सं. 193 पर अंकित नर्बदा/मुरधीधर, स्त्री, उम्र 32 की प्रमाणित प्रतिलिपी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। ए.डी.एम सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक 42 दिनांक 20.05.2020 द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज को प्रेषित कर दिया। अधिशाषी अधिकारी शिवगंज द्वारा अपीलांट को जरिये पत्र सं. 485 दिनांक 04.06.2020 द्वारा तहसील कार्यालय शिवगंज से सूचना प्राप्त करने का लिखा गया, जबकि उक्त सूचना कलक्टर कार्यालय सिरोही के निर्वाचन शाखा से सम्बन्धित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करावें। [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.01.12 16:46:10 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	217-18 13/8/20

Scanned with CamScanner